प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 जुलाई 2026

आरबीआई ने बैंकों के लिए बासेल पिलर 3 प्रकटीकरण जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2026 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बेसल पिलर 3 प्रकटीकरण पर निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए थे:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) सातवां संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) पांचवां संशोधन निदेश, 2026

2. उक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। उक्त मसौदा संशोधन निदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में प्रदान किया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों पर लागू मौजूदा अनुदेशों को संशोधित करने के लिए आज निम्नलिखित दस संशोधन निदेश जारी किए हैं:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) सातवां संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) – आठवां संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) – दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) पांचवां संशोधन निदेश, 2026

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – आस्ति देयता प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – अभिशासन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(x) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

4. बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम, क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन और वाणिज्यिक बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात पर बेसल पिलर 3 प्रकटीकरण टेम्पलेट अलग से जारी किए जाएंगे। इन टेम्पलेट्स पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी और वाणिज्यिक बैंकों के लिए संबंधित टेम्पलेट्स जारी करते समय उन्हें उचित रूप से शामिल किया जाएगा।

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/780

मुख्य महाप्रबंधक